भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या646

दिनांक 29.04.2015/09 वैशाख, 1937 (शक) को उत्तर के लिए

नए राज्यों में वामपंथी उग्रवाद का विस्तार

646 श्री आनन्द शर्माः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वामपंथी उग्रवादियों द्वारा केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) राज्य पुलिस कर्मियों एवं अन्य अर्धसैनिक बलों पर कितने हमले किए गए हैं तथा हताहतों की संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु कौन-से उपाय किए गए है;
(ग) क्या यह सच है वामपंथी उग्रवाद (एल.डब्लू.ई.) का देश के दक्षिण तथा पूर्वी भाग में नए राज्यों में भी विस्तार हो गया है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैः और?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क): चालू वर्ष (15.04.2015 तक) में , वामपंथी उग्रवादियों ने सुरक्षा बल कार्मिकों पर 52 हमले किए जिनमें 16 मौतें हुईं। तथापि, चालू वर्ष (15.04.2015 तक) में वामपंथी उग्रवादी हिंसा की 357 घटनाओं में सुरक्षा बल कार्मिकों के हताहत होने की कुल संख्या 34 रही।

(ख): केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद के विद्रोह से निपटने के लिए चार प्रकार की रणनीति अपनाती है – सुरक्षा संबंधी उपाय; विकास संबंधी उपाय; स्थानीय समुदायों के अधिकारों और हकदारियों को सुनिश्चित करना तथा जन-अवधारणा प्रबंधन, जिनमें वह विभिन्न प्रकार की योजनाओं और उपायों के माध्याम से राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सम्पूरित करती है।

सुरक्षा संबंधी उपायों में, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को सीधे तैनात करने के अलावा भारत सरकार सुरक्षा संबंधी व्यय योजना, सुरक्षित पुलिस थानों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण की योजना आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से राज्यों के क्षमता-निर्माण में सहायता प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, अन्य सुरक्षा संबंधी उपायों में राज्यों को हेलीकॉप्टर मुहैया कराना, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन हेतु सहायता प्रदान करना, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस तथा उनके आसूचना तंत्र का आधुनिकीकरण और उन्नयन करना शामिल है।

विकास के मोर्चे पर, केन्द्र सरकार वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सड़क आवश्यकता योजना-I (आर आर पी-I), मोबाइल टावरों की स्थापना आदि जैसी विशेष योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

स्थानीय समुदायों के अधिकार एवं हकदारियों को सुनिश्चित करने के लिए, केन्द्र सरकार ने जंगल में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों और अन्य परंपरागत वनवासियों, जो पीढ़ियों से इन जंगलों में निवास कर रहे हैं, लेकिन जिनके अधिकारों को रिकार्डबद्ध नहीं किया जा सका है, को मान्यता प्रदान करने और उन्हें वनभूमि में वन-अधिकारों और व्यवसाय से समृद्ध करने हेतु अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 का अधिनियमन किया है। इनके नियम दिनांक 01.01.2008 को अधिसूचित किए गए थे और इनका बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए दिनांक 06.09.2012 को इनमें और संशोधन किए गए हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने भी इस अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दों के बारे में दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

जन अवधारणा प्रबंधन के अंतर्गत, केन्द्र सरकार मीडिया के माध्यम से वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सरकार के अभिमत की जानकारी देने के लिए मीडिया योजना कार्यान्वित कर रही है।

(ग) और (घ): यह सत्य है कि सीपीआई (माओवादी) दक्षिण भारत, विशेषकर तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक के तिराहे पर अपना प्रभाव मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं उनकी योजनाओं में केरल और कर्नाटक की सीमा पर अपना आधार बनाना शामिल हैं। केरल के वायना ड़ जिले में सक्रिय सीपीआई (माओवादी) कॉडर वायना ड़ जिले से कर्नाटक के मैसूर जिले तक वन मार्ग बनाने के प्रयास करने के लिए भी जाने जाते रहे हैं।

अपनी सैन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अन्य विद्रोही गुटों के साथ संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से सीपीआई (माओवादी) पूर्वोत्तर में संगठनात्मक आधार बनाने का प्रयास भी कर रहे हैं। इस संबंध में, सीपीआई (माओवादी) ने मणिपुर के रिवोल्यूशनरी पीचुल्स फ्रंट (आरपीएफ)/पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) जैसे पूर्वोत्तर के विद्रोही गुटों के साथ गहन मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित कर लिए हैं। दोनों संगठन प्रशिक्षण, वित्त पोषण, हथियारों और गोलाबारुद की आपूर्ति से संबंधित क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग हेतु सहमत हुए हैं। सीपीआई (माओवादी) की अपर असम लीडिंग कमेटी (यूएएलसी) वर्तमान में असम और अरुणाचल प्रदेश में सक्रिय है और हथियारों को लूटने तथा स्थानीय ग्रामीणों से जबरन वसूली की घटनाओं में संलिप्त है। यूएएलसी असम में संगठन हेतु कॉडरों की भर्ती करने हेतु तथा उनके प्रशिक्षण कार्य में भी शामिल है। इन कॉडरों का इस्तेमाल असम में बड़े बांधों के खिलाफ व्यापक दुष्प्रचार करने में किया जा रहा है। इस पृष्ठभूमि में असम-अरुणाचल सीमा माओवादी गतिविधियों के एक अन्य क्षेत्र के रूप में उभरी है। यह संगठन गोला-बारुद की खरीद हेतु पूर्वोत्तर, विशेषकर नागालैंड में अलग-अलग माध्यम भी स्थापित कर रहा है।

*****